कार्यालय जिला पंचायत (ग्रामीण विकास), छिन्दवाड़ा

मनरेगा के कार्यों का ग्राम सभाओं में होगा सोशल आडिट

जिला पंचायत सीईओ सुश्री मीणा ने सामाजिक अंकेक्षण के लिए जारी किए निर्देश

छिंदवाड़ा दिनांक- 06/08/2011 - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत जनवरी 2011 से जुलाई 2011 तक कराए गए समस्त कार्यों का सामाजिक अंकेक्षक किया जाएगा । इस हेतु जिले में 25 अगस्त से 05 सितम्बर 2011 तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री स्वाति मीणा ने समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को शासन के दिशा-निर्देशानुसार सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभाओं का आयोजन के निर्देश दिए हैं । उन्होंने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा द्वारा सामाजिक संपरीक्षा समिति का गठन किया जाए जिसमें एक तिहाई महिलाएं शामिल हों । संपरीक्षा समिति को ग्राम पंचायत अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों का विवरण, नस्तियां निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई जाएं । सामाजिक अंकेक्षण से 15 दिवस पहले आवश्यक जानकारी की छायाप्रति समिति को उपलब्ध कराएं । जनप्रतिनिधियों और मनरेगा से संबंधित कर्मचारियों को सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में भाग लेने हेतु सूचित किया जाए । सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा ग्राम सभा में प्रतिवेदन का वाचन किया जाएगा । सामाजिक अंकेक्षण के पूर्व और बाद में उपस्थित प्रतिभागियों के हस्ताक्षर कराया जाए । सामाजिक अंकेक्षण के प्रतिवेदन पर 30 दिवस के भीतर कार्यवाही की जाएगी । सुश्री मीणा ने कहा कि अधिनियम के विपरीत कार्यों की जानकारी को शिकायत माना जाकर जांच कराई जाएगी । राशि में गड़बड़ी की शिकायतों पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी । जनपद पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण मानीटरिंग प्रकोष्ठ का प्रकरण किया जाए । ग्राम पंचायतवार नोडल अधिकारी नियुक्त करें । ऐसी ग्राम पंचायतें जिन्होंने माह जनवरी 2011 से माह जुलाई 2011 तक 10 लाख से अधिक राशि व्यय की है, उनमें सामाजिक अंकेक्षण कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराई जाए । ग्राम पंचायतों में चल रहे कार्यों के संबंध में प्राप्त शिकायतें ग्राम सभा के समक्ष ही प्रस्तुत की जाएगी जिसका निराकरण भी ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा ।

द्वारा – मीडिया शाखा, जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा